

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक – 22.07.2019 को आहूत राज्य गंगा समिति के चतुर्थ बैठक की कार्यवाही :-

स्थान:- पुराना सचिवालय अवस्थित मुख्य सचिव के अनुश्रवण कोषांग।

समय:- 12.00 बजे मध्याह्न।

उपस्थिति:- यथापंजी में संधारित।

1. बैठक में उपस्थित राज्य गंगा समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य गंगा समिति के तृतीय बैठक दिनांक 22.02.2019 में दिये गये निदेशों के अनुपालन एवं "नमामि गंगे कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में PPT के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी।
3. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गंगा के किनारे के 12 जिले और 23 शहरों एवं गंगा की मुख्य 07 सहायक नदियों और चयनित 15 शहरों की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि सिवरेज नेटवर्क एवं एस.टी.पी. की ₹ 4141.91 करोड़ की 15 परियोजनायें, Interception and Diversion (I&D) की ₹ 1037.55 करोड़ की 13 परियोजनायें इस प्रकार सीवरेज प्रोजेक्ट की कुल ₹ 5179.46 करोड़ की कुल 28 परियोजनाओं के कार्यकारी एजेन्सी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको) है। पटना गंगा नदी तट की विकास की ₹ 314.06 करोड़ की 01 योजना और गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर के घाट सौंदर्यीकरण के ₹ 19.02 करोड़ की 02 योजनाओं के कार्यकारी एजेन्सी भी बुडको है। घाट एवं शवदाह गृह एवं सामुदायिक शौचालय की कुल ₹ 134.06 करोड़ की 5 योजनाओं का कार्यकारी एजेन्सी एन.बी.सी. सी. है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण की कुल ₹ 18.60 करोड़ की 02 योजनाओं के कार्यकारी एजेन्सी वन एवं पर्यावरण विभाग तथा नदी सतह जल की सफाई कुल ₹ 6.0 करोड़ की 01 योजना के कार्यकारी एजेन्सी क्लीनटेक है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उपर्युक्त सभी योजनाओं में 22 योजनायें प्रगति में हैं तथा 14 योजनायें निविदा निस्तार एवं 02 योजनायें निविदा प्रकाशन की स्थिति में हैं।

4. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा योजना में प्रावधानित House Connection की योजनावार प्रावधान एवं इसके सापेक्ष प्रगति PPT के माध्यम से बताया गया। कुल प्रावधान के सापेक्ष उपलब्धि कम रहने के मद्देनजर समिति द्वारा लक्ष्य निर्धारित किये जाने का निदेश दिया गया। इस क्रम में प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि मासिक लक्ष्य का निर्धारण एवं लक्ष्य में कमी की स्थिति में दंड का प्रावधान किया जा रहा है। समिति द्वारा बैठक में संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को

निर्धारित लक्ष्य मानक गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ ससमय पूरा करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन – बुडको)

5. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा पटना अन्तर्गत कार्यान्वित STP and Sewerage Network की 09 योजनाओं को सचित्र PPT के माध्यम से प्रगति तथा 02 योजनाओं यथा दीघा सिवरेज योजना एवं कंकड़बाग सिवरेज योजना का L.O.A दिनांक 19.07.2019 को निर्गत कर दिये जाने को बताया गया। इसी क्रम में Karmalichak Sewerage Network में भौतिक प्रगति 33% एवं वित्तीय प्रगति ₹ 42.81 करोड़ के संदर्भ में प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वित्तीय प्रगति कम रहने के संदर्भ में पृच्छा की गयी। इस संदर्भ में प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि House Connection की प्रगति में कमी के परिपेक्ष्य में भुगतान को रोका गया है।

(अनुपालन – बुडको)

6. बैठक में समिति द्वारा Pipe laying के दौरान काटे गये पथ के साथ-साथ Restoration कार्य नहीं कराये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यकारी एजेन्सी को सभी योजनाओं को विशिष्टि एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा कराये जाने एवं काटे गये पथ को तत्काल Pipe laying कार्य के साथ Road Restoration का कार्य पूरा किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – बुडको)

7. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा PPT के माध्यम से पटना के अतिरिक्त (i) मोकामा (ii) सुलतानगंज (iii) बाढ़ में सिवरेज योजना का कार्य प्रगति में होने तथा (iv) नवगछिया (v) सोनपुर सिवरेज योजना में STP हेतु चिह्नित भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं होने को बताया गया। कार्य को विशिष्टि एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा किये जाने के हर सम्भव आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – बुडको)

8. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि (i) सहरसा (ii) मधेपुरा (iii) मोतिहारी (iv) दाउदनगर (v) लखीसराय (vi) जमुई (vii) दरभंगा एवं (viii) किशनगंज में I&D Works and STP योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) NEERI के स्तर पर लम्बित है एवं (ix) सुपौल (x) मजुफ्फरपुर (xi) समस्तीपुर (xii) डिहरी (xiii) अरवल (xiv) गोपालगंज एवं (xv) बगहा में I&D Works and STP योजना का DPR समर्पित है। समिति द्वारा समर्पित DPR के संबंध में NMCG के Observations एवं NEERI को यथाशीघ्र DPR उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने को कार्यकारी एजेन्सी को निदेशित किया गया।

(अनुपालन – SPMG / बुडको)

9. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा गंगा नदी तट विकास GRFD योजना के संबंध में 20 घाटों में 16 घाटों का कार्य, AVT Building, ECO Centre Building, Community cum Cultural Centre Building एवं 5.5 Km Promenade निर्माण पूरा कर लिये जाने संबंधी जानकारी दी गई। लोगों के आसान पहुँच के लिए समाहरणालय घाट से सभ्यता द्वार तक पहुँच पथ बनाये जाने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त कार्य हेतु NMCG से सहमति एवं राशि उपलब्ध कराने में होने वाली कठिनाई की सूचना दी गई। राज्य योजना मद से उक्त कार्य कराये जाने के लिए आवश्यक कारवाई करने के लिए कार्यकारी एजेन्सी को निदेशित किया गया। गांधी मैदान से सभ्यता द्वार तक पथ का निर्माण/सौंदर्यीकरण का कार्य पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। निविदा सूचना आमंत्रित है। समिति द्वारा निविदा – निस्तार करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – बुडको/पटना स्मार्ट सिटी लि0)

10. प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा गंगा नदी अथवा अन्य किसी Water Bodies में Outfall होने वाले नालों से ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) के प्रवाह को रोकने के लिए 126 Screen Installation के विरुद्ध 95 Screen Install हो जाने संबंधी जानकारी देते हुए Photograph भी दिखलाया गया। बैठक में समिति द्वारा ऐसे नालों में जमा हुये ठोस अपशिष्ट की सफाई कराते रहने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी संबंधित नगर निकाय)

11. समिति द्वारा सभी कार्यकारी एजेन्सियों को सभी योजनायें विशिष्ट एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी कार्यकारी एजेन्सी)

राज्य गंगा समिति के पास उपस्थापित एजेन्डा :-

- (1) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि सरकारी निर्णय के आलोक में लाभान्वित द्वारा House Connection कराते हुए ₹ 3000/- समायोजन किये जाने की प्रक्रिया सफल नहीं पाया गया। तद्दोपरान्त कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के मद्देनजर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रति House Connection ₹ 4000/- की दर से सम्बद्ध संवेदक से ही कराने का अनुमोदन देते हुए बुडको को सूचित किया गया है। समिति से इस पर घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।

(अनुपालन- नगर विकास एवं आवास विभाग/बुडको)

- (2) प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि M/s Meinhardt (Singapore) Pvt. Ltd. (MSPL) का पटना अन्तर्गत Sewerage & Drainage Project के Construction Supervision & Quality Control (CS&QC) के साथ दिनांक 17.10.12 को किये गये एकरारनामा को

एकरारनामा शर्त को पूरा नहीं करने के मद्देनजर दिनांक 31.07.2014 को निरस्त कर दिया गया। M/s MSPL द्वारा दायर CWJC No 8192/2015 में माननीय न्यायालय के 30.06.2015 में पारित न्याय निर्णय के अनुरूप M/s MSPL के Data Design and drawing के साथ बेउर एवं करमलीचक में STP एवं Sewerage Network के लिए निविदा बुडको द्वारा आमंत्रित किया गया। M/s MSPL के दायर MJC पर माननीय न्यायालय द्वारा Stay Order देते हुए CWJC No 8192/2015 में दिनांक 19.10.2016 को MJC को Disposed of एवं बुडको के आदेश दिनांक 31.07.2014 को निरस्त करते हुए न्याय निर्णय पारित किया गया एवं बुडको द्वारा M/s MSPL के Design Data एवं Drawing का उपयोग किये जाने के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति मांग किये जाने की स्वतंत्रता M/s MSPL को दी गई। इसी क्रम में M/s MSPL का ₹ 5.43 करोड़ का विपत्र बुडको के तकनीक कमिटी की जाँच में ₹ 2.678 करोड़ पाया गया। तदनुसार बुडको द्वारा M/s MSPL को ₹ 2.678 करोड़ का भुगतान किया गया।

प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा जानकारी दी गयी कि Patna के Sewerage Schemes के CS&QC के लिए M/s MSPL की सेवा लिये जाने का अनुमोदन बुडको के बोर्ड में दिया गया है। तदनुसार सेवा लिये जाने पर ₹ 5.00 करोड़ की आवश्यकता होगी। उनके द्वारा पटना के Sewerage Schemes के CS&QC के लिए M/s MSPL की सेवा लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त करने का राज्य गंगा समिति से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा बुडको को सक्षम स्तर से स्वीकृति लेकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – बुडको)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/—
(दीपक कुमार),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक : BGCMS/2017/Patna/30.....न.वि. एवं आ.वि./पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर/खगड़िया/जमालपुर/दानापुर/मनेर/
सुल्तानगंज/कहलगाँव/नवगछिया/सोनपुर/हाजीपुर/दिघवारा/तेघरा/
मोकामा/ बड़हिया/मनिहारी/बख्तियारपुर/फतुहा/बाढ़, नगर आयुक्त
पटना/मुंगेर/भागलपुर/छपरा/बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई
हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

सह-परियोजना निदेशक,

बी0जी0सी0एम0एस0,

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक : BGCMS/2017/Patna/30.....न.वि. एवं आ.वि./पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, पटना/बक्सर/भोजपुर/वैशाली/बेगुसराय/कटिहार/दरभंगा
/कैमूर/खगड़िया/सारण/भागलपुर/मुंगेर/लखीसराय/समस्तीपुर को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

सह-परियोजना निदेशक,

बी0जी0सी0एम0एस0,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक : BGCMS/2017/Patna/30.....^{6.13}.....न.वि. एवं आ.वि./पटना, दिनांक.....^{8.1.19}
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/प्रधान मुख्य वन
संरक्षक/प्रबंध निदेशक, बुडको/निदेशक, हरियाली मिशन/महाप्रबंधक NBCC /श्री उमा
शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, बिहार/ डॉ सुनील कुमार
चौधरी, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर विभाग, टी.एम.वि. भागलपुर/डॉ0 समीर
कुमार सिन्हा, संयोजक, WTI regional head बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश (नदी प्रणाली)/
श्री एस.एन जायसवाल वैज्ञानिक (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन), बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण
पर्षद/प्रो0 संतोष कुमार चौधरी, सेवा निवृत्त प्राध्यापक, NIT पटना एवं एस.पी.एम.जी. के
पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

सह-परियोजना निदेशक,

बी0जी0सी0एम0एस0,

नगर विकास एवं आवास विभाग।